(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु समाकालित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) अस्वीकृत की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (घ) देश के शहरी क्षेत्रों में भूमिगत मलजल निपटान के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी योजनाओं के विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकारें अपनी परियोजना रिपोर्टों को तकनीकी अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजती हैं।

Hindi officers in C.P.W.D.

3444. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Hindi Officers working in various subordinate offices of C.P.W.D. for implementation of official language policy of Government in accordance with the norms laid down by official language Department in 1981 and 1989;

(b) whether Government have received any representation to promote Junior Hindi Translators working in the subordinate offices of C.P.W.D.;

(c) if so, the steps being taken in regard; and

(d) whether Government propose to form a cadre of such posts in subordinate offices of C.P.W.D. despite repeated instructions of Official Languages Department and if so, when it is likely to be formed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The post of Hindi Officer/Assistant Director (official Language) is at present not available in the subordinate Offices of CPWD.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) A proposal for creation of certain posts in Hindi work in the Subordinate Offices of CPWD has been formulated. A decision on this has not so far been taken because it involves collection of certain additional information. Promotional avenues for the Junior Hindi Translators would be available only after posts in higher categories are created. The Question of cadre formation will also arise after sufficient number of posts are created.

गुजरात में शहरों का विकास

3445. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन शहरों के नाम क्या है जिनका वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान शहरी मूल सेवाएं के अन्तर्गत योजना विकास किया गया है; और

(ख) पूरे किये गये विकास कार्य के प्रतिशत सहित शहर-वार विकास कार्य का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) शहरी मूल सेवाएं (यू बी एस) योजना 1990 में संशोधित की गई थी तथा निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवाएं (यू बी एस पी) नामक योजना 1990–91 में प्रारम्भ की गई थी। यू बी एस पी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चुने गए 28 शहर इस प्रकार है :

1. अहमदाबाद
2. सूरत

3. जामनगर
4. भावनगर
5. मेहसाना
6. कलोल
7. नादिया डी
8. अंजर
9. जूनागढ़
10. भारूच
11. राजपीपिला
12. डेलसा
13. धर्मगढ़ेरा
14. लिम्डी
15. पोरबंदर
16. केसोद
17. बारडोली
18. आनन्द
19. विशनगर
20. पालम पुर
21. अंकलेश्वर
22. जामबुधार
23. सुरेन्द्रानगर
24. वधवां
25. विरावल
26. ऊना
27. मंजराल
28. विसारा

(ख) राज्य में विभिन्न शहरों को केन्द्रीय निधियों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यू बी एस/यू बी एस पी स्कीमों का कार्यान्वयन स्लम वासियों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है इसलिए कार्य का स्वरूप व मात्रा भिन्न-भिन्न कस्बों में अलग-अलग होती है। 1990–91 और 1991–92 के दौरान गुजरात में यू बी एस/यू बी एस पी स्कीमों के लिए क्रमशः 106.15 लाख और 103.36 लाख रुपए की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गई थी।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी

3446. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को आवास-निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु गुजरात सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान कितने आवास बनाये जाने का विचार है

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के निजी कोटे में से मकानों के आवंटन की दोहरी नीति

3447. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिया के निजी कोटे में से मकानों के आवंटन की दोहरी नीति है और जो लोग पात्र कार्यालयों में कार्य करते है वे लोग मकान रख सकते है और पूलों में परिवर्तन होने पर मकान को रद्द किये जाने का नियम है जिसके कारण अन्य पूल से